Notice published in Newspapers on 18/08/2016 in 'The Times of India' (in English) and in 'Dainik Bhaskar' (in Hindi) in Bhopal, Patna and Delhi editions



वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) अनुसंधान भवन, २, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001

सूचना

श्री पी. के. सिन्हा, अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा) (निलंबित), सीएसआईआर—प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर—एम्प्री), भोपाल के खिलाफ सीएसआईआर ज्ञापन दिनांक 29.10.2014 द्वारा सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के नियम 14 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के अनुसार उन्हें जाँच रिपोर्ट की सुपुर्दगी के लिए उचित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था, परन्तु इसे सुपुर्द नहीं किया जा सका।

इसलिए, एतद्द्वारा श्री पी. के. सिन्हा को समाचार पत्रों में इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिनों के भीतर जाँच रिपोर्ट या तो सीएसआईआर—एम्प्री, भोपाल या सीएसआईआर, मुख्यालय, नई दिल्ली से प्राप्त करने के लिए सूचना दी जाती है। यदि श्री पी. के. सिन्हा निर्धारित समय के भीतर जाँच रिपोर्ट प्राप्त करने तथा / या अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के लिए असफल होते हैं, तो अनुशासनिक प्राधिकारी इस संबंध में कोई सूचना दिये बिना एक पक्षीय निर्णय की कार्यवाही करेंगे।



Council of Scientific & Industrial Research (CSIR)

Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi – 110 001

NOTICE

Pursuant to Disciplinary Proceedings against Sh. P.K. Sinha, Section Officer (F&A) (under suspension), CSIR-Advanced Materials and Processes Research Institute (CSIR-AMPRI), Bhopal under Rule 14 of CCS (CCA) Rules, 1965, vide CSIR Memorandum dated 29.10.2014, the due process for delivery of Inquiry Report to him was followed, but the same could not be delivered.

Therefore, notice is hereby given to Sh. P.K. Sinha to collect the Inquiry report either from CSIR-AMPRI, Bhopal or from CSIR HQ, New Delhi within 15 days from the publication of this notice in news papers. If Sh. Sinha fails to collect Inquiry report and/or submit his representation within the stipulated time, the Disciplinary Authority shall proceed ex parte, without further notice in this regard.

Sr. Deputy Secretary (HR)